कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड़
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़, देहरादून– 248001
Email id- ceo_uttaranchal@eci.gov.in
फोन न0 (0135) – 2713551
फैक्स न0 (0135) -2713724,

संख्या–1615 /XXV– 12(P-11)/2021 देहरादून : दिनांक 27 सितम्बर, 2021

सेवा में,

श्री पूरन सिंह गैडा,
ग्राम पोस्ट–पोखरी (दन्यॉ),
तहसील–भनौली,
जिला–अल्मोडा।

विषय– सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के तहत सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक उपसचिव/लोक सूचना अधिकारी उत्तराखण्ड शासन मंत्रिपरिषद अनुभाग के पत्र संख्या–873/26/RTI/XXI/2021 दिनांक 23 सितम्बर, 2021 के साथ संलग्न आपका अनुरोध पत्र दिनांक–10.09.2021 जो इस कार्यालय में दिनांक 27.09.2021 को प्राप्त हुआ है, के सम्बन्ध में आप द्वारा बिन्दु संख्या–4 में मांगी गयी वांछित सूचना निम्न प्रकार प्रेषित है

बिन्दु सख्या–	सूचना का विवरण
बिन्दु–04	आदर्श आचार संहिता पर मैनुअल मार्च, 2019(कुल तीन) पृष्ठ

इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि असंतुष्ट हो तो आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के अन्दर विभाग के अपीलीय अधिकारी जिनका पता निम्नवत है, अपील दायर कर सकते है

संलग्न–यथोपरि।

अपीलीय अधिकारी का पता
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल,
सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़,
देहरादून–248001

भवदीय,
B.S. Rawat
(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एंव
लोक सूचना अधिकारी

Page No-1

सत्यमेव जयते

आदर्श आचार संहिता पर मैनुअल

(राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए) और अन्य संबंधित दिशा-निर्देश

मार्च, 2019

दस्तावेज 21 - संस्करण 1

भारत निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION OF INDIA

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

"कोई भी मतदाता न छूटे"

भाग लेने के लिए पटना से नई दिल्ली आ सकते हैं। इस मुद्दे पर मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण भी मांगा था कि क्या रेल मंत्री पटना के व्यक्तिगत/राजनीतिक दौरे के समय कोलकाता में सरकारी दौरे पर जा सकते हैं। यह स्पष्टीकरण दिया गया था कि मंत्री अपने राजनीतिक अथवा व्यक्तिगत दौरे को सरकारी दौरे से जोड़कर कोलकाता अथवा कहीं अन्यत्र नहीं जा सकते, भले ही इस संपूर्ण यात्रा के लिए धन का भुगतान उन्होंने स्वयं किया हो। यह भी सूचना दी गई थी कि मंत्री महोदय सांसदों के लिए उपलब्ध मुफ्त (फ्री) रेलवे/हवाई यात्रा पास की सामान्य सुविधा का उपयोग कर सकेंगे, किंतु वे केन्द्रीय रेल मंत्री के रूप में पटना जाने तथा दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय वापस आने के लिए रेल/हवाई यात्रा का केंद्रीय रेल मंत्री के रूप में विशेष अधिकारों का लाभ उठाने हेतु पात्र नहीं होंगे। इससे पूर्व, मध्य प्रदेश राज्य विधान सभा के साधारण निर्वाचनों के दौरान, पंजाब के तत्कालीन मुख्य मंत्री ने चंडीगढ़ से इंदौर के लिए अपनी सरकारी यात्रा हेतु राज्य के हवाई जहाज का उपयोग किया था। वहाँ से, वे निर्वाचन दौरे पर भोपाल गए। उन्हें चंडीगढ़ से भोपाल और वापसी यात्रा के लिए पूरा किराया देना पड़ा। इसी प्रकार, छतीसगढ़ विधान सभा के वर्ष 2003 के साधारण निर्वाचन में, राज्य के तत्कालीन मुख्य मंत्री को हवाई यात्रा के लिए राज्य सरकार को किराये की प्रतिपूर्ति करनी पड़ी थी, जो उन्होंने दल के कार्य हेतु राज्य सरकार के हवाई जहाज का इस्तेमाल करके रायपुर से दिल्ली तक की थी। तथापि, वर्ष 2015 के निर्वाचन में, प्रधान मंत्री के मामले में एक विशेष छूट प्रदान की गई, जब उन्हें अपने सरकारी दौरे को निजी निर्वाचन अभियान यात्रा के साथ मिलाए जाने की इस निदेश के साथ अनुमति दी गई थी कि प्रधान मंत्री के गैर-सरकारी दौरे पर होने वाला खर्च संबंधित राजनीतिक दल द्वारा वहन किया जाएगा।

(iv) **सरकारी वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध:-** यह स्पष्ट किया जाता है कि मंत्रीगण अपने सरकारी वाहनों का उपयोग अपने मुख्यालय से अपने निवास स्थान तक सरकारी कार्य हेतु आने-जाने के लिए करने के पात्र हैं, बशर्ते इस प्रकार दैनिक रूप से आने-जाने को किसी निर्वाचन कार्य अथवा राजनीतिक गतिविधि से नहीं जोड़ा जाए, जिसमें दल (दल) कार्यालय का दौरा करना भी शामिल है, भले ही यह उनके मार्ग में पड़ता हो। मंत्री द्वारा अपने निर्वाचन दौरे के समय उसकी उपस्थिति को स्पष्टतापूर्वक दर्शाने वाली कोई भी पायलट कार अथवा किसी भी रंग की किसी भी सायरनयुक्त किसी भी मॉडल की बीकॉन लाइट वाली कारें इस्तेमाल नहीं की जाएंगी, भले ही राज्य सरकार प्रशासन द्वारा एक सुरक्षा कवर दिया गया हो, जिसके अंतर्गत उस दौरे के समय मंत्री के साथ सशस्त्र

सुरक्षाकर्मी भी हों। निर्वाचन आयोग के संज्ञान में एक मामला लाया गया था कि केन्द्रीय रेल मंत्री और केन्द्रीय कंपनी कार्य मंत्री द्वारा निर्वाचन कार्य के संबंध में निर्वाचन आयोग कार्यालय के दौरे के लिए सरकारी कारों का इस्तेमाल किया गया था। दोनों मंत्रियों को नोटिस जारी किए गए थे। फलस्वरूप, दोनों मंत्रियों ने अपने निजी दौरे के लिए उक्त कारों के उपयोग के लिए सरकार को भुगतान किया। इसी प्रकार, वर्ष 2012 में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब से एक संदर्भ प्राप्त हुआ था कि पंजाब के तत्कालीन मुख्य मंत्री रामा मंडी में प्रचार कार्य कर रहे थे, जहाँ से वह 26 जनवरी के दिन ध्वजारोहण के लिए फिरोज़पुर जाना चाह रहे थे। मुख्य मंत्री के प्रमुख सचिव ने अनुरोध किया कि रामा मंडी से फिरोज़पुर और वापसी के लिए मुख्य मंत्री द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कार का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने निर्णय लिया कि जो गणमान्य व्यक्ति गणतंत्र दिवस समारोह में ध्वजारोहण करेंगे, वे निर्वाचन अभियान के स्थान, यदि कोई हो, से ध्वजारोहण स्थल तक की सीधे यात्रा कर सकेंगे। इस उद्देश्य से होने वाला यात्रा व्यय संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। उन्हें इन स्थानों के बीच यात्रा करने के लिए मुख्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है।

(v) **सरकारी अधिकारियों द्वारा प्रोटोकॉल का पालन न करना:-** राज्य सरकारों और जिला प्रशासन के अधिकारी निर्वाचन दौरे पर राज्य अथवा जिले में आने वाले केन्द्र अथवा राज्य सरकार के मंत्रियों की प्रोटोकॉल के तहत अगुवाई नहीं करेंगे, उन्हें विदा करने नहीं जाएंगे अथवा उनसे अपेक्षा नहीं की जाएगी। तथापि, प्रधान मंत्री के निर्वाचन दौरों के मामले में यह अपवाद किया गया है और सभी रैंक के अधिकारियों, जिनमें पुलिस महानिदेशक भी शामिल होंगे, और जिलाधीशों को सुरक्षा संबंधी इंतज़ाम देखने के लिए उपस्थित रहने की अनुमति दी गई है।

(vi) **सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक:-** मंत्रीगण उस निर्वाचन क्षेत्र अथवा उस राज्य, जहाँ निर्वाचन की घोषणा की जा चुकी है, के किसी संबंधित निर्वाचन अधिकारी को उस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचनों की घोषणा की शुरुआत से लेकर निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक की अवधि के दौरान किसी स्थान अथवा कार्यालय अथवा गेस्ट हाउस के भीतर अथवा उस निर्वाचन क्षेत्र के बाहर किसी सरकारी वार्ता के लिए नहीं बुलाएंगे। इन अनुदेशों में केवल यही अपवाद रहेगा कि जब कोई मंत्री, किसी संबंधित विभाग के प्रभारी होने अथवा मुख्य मंत्री होने के नाते किसी निर्वाचन क्षेत्र में सरकारी दौरे पर जाते हैं, अथवा उस निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन से संबंधित किसी अधिकारी को कानून-व्यवस्था के विफल होने

प्राप्त - 27/09/2021

उत्तराखण्ड शासन
मंत्रिपरिषद अनुभाग
संख्याः– — /26/RTI/XXI/2021
देहरादून, दिनांक 23 सितम्बर, 2021

श्री पूरन सिंह गैडा,
ग्राम पोस्ट–पोखरी (दन्या),
तहसील–भनौली,
जिला–अल्मोड़ा।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने विषयक आपका अनुरोध पत्र दिनांक 10.09.2021, जो अनु सचिव, लोक सूचना अधिकारी, विधान सभा सचिवालय, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–392/वि0स0/57/सू0 का अधि0/2021, दिनांक 16.09.2021 के माध्यम से अन्तरित होकर दिनांक 20.09.2021 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ, जिसके माध्यम से **बिन्दु संख्या–4** से संबंधित सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है, का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. अवगत कराना है कि आपके द्वारा **बिन्दु संख्या–04** से संबंधित–**"मा0 मुख्यमंत्री मंत्रीगण उत्तराखण्ड सरकार को चुनाव प्रचार (आचार संहिता) के दौरान सरकारी वाहनों के इस्तेमाल करने की अनुमति है या नहीं"** विषयक वांछित सूचना कदाचित निर्वाचन विभाग, उत्तराखण्ड शासन से सम्बन्धित है।

सूचना अधिकार के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई सूचना से यदि आप असन्तुष्ट हों तो पत्र प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर विभागीय अपीलीय अधिकारी को अपील दायर कर सकते हैं। विभागीय अपीलीय अधिकारी का नाम, पता एवं दूरभाष संख्या निम्नवत् है :–

ओमकार सिंह,
विभागीय अपीलीय अधिकारी/संयुक्त सचिव,
गोपन विभाग, उत्तराखण्ड शासन,
उत्तराखण्ड सचिवालय
4, सुभाष रोड, देहरादून। मो. नं. 9927699890

(अजीत सिंह)
उपसचिव/लोक सूचना अधिकारी।

संख्या– 873/26/RTI/XXI/2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– लोक सूचना अधिकारी, निर्वाचन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6(3) के तहत इस आशय से अंतरित किया जा रहा है कि कृपया अनुरोधकर्ता को **बिन्दु संख्या–4** से संबंधित सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2. लोक सूचना अधिकारी, विधान सभा सचिवालय, उत्तराखण्ड को उनके पत्र संख्या–392/वि0स0/57/सू0 का अधि0/2021, दिनांक 16.09.2021 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(अजीत सिंह)
उप सचिव/लोक सूचना अधिकारी।

सं0-873/XXI/2021

पंजीकृत

सूचना का अधिकार

विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड
(सूचना का अधिकार)

संख्याः 392/वि0स0/57/सू0 का अधि0/2021

देहरादून, दिनांक : 16 सितम्बर, 2021

लोक सूचना अधिकारी,
मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय,
उत्तराखण्ड शासन

लोक सूचना अधिकारी,
गृह विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

लोक सूचना अधिकारी,
गोपन विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

कृपया आवेदक श्री पूरन सिंह गैडा, ग्राम पोस्ट– पोखरी (दन्यॉ), तहसील–भनौली, जिला–अल्मोड़ा का सूचना आवेदन पत्र दिनांक 10.09.2021 जो इस कार्यालय में दिनांक 14.09.2021 को प्राप्त हुआ है, को आपको सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की व्यवस्थानुसार इस आशय से अन्तरित किया जा रहा है कि आवेदक द्वारा मांगी गयी बिन्दु संख्या 01(आंशिक) एवं 04(आंशिक) मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय, बिन्दु संख्या 02(आंशिक) एवं 03(आंशिक) गृह विभाग तथा बिन्दु संख्या 04(आंशिक) गोपन विभाग, उत्तराखण्ड शासन से सम्बन्धित प्रतीत होती है।

संलग्नकः **यथोपरि।**

भवदीय,

(हेम चन्द्र पन्त)
अनु सचिव (लेखा)/लोक सूचना अधिकारी।

संख्याः /वि0स0/57/सू0 का अधि0/2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः 1. श्री पूरन सिंह गैडा, ग्राम पोस्ट– पोखरी (दन्यॉ), तहसील–भनौली, जिला–अल्मोड़ा को इस आशय से प्रेषित कि बिन्दु संख्या 01(आंशिक) एवं 04(आंशिक), बिन्दु संख्या 02(आंशिक) एवं 03(आंशिक), बिन्दु संख्या 04(आंशिक) की सूचना इस कार्यालय में धारित नही है। वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय, गृह विभाग, एवं गोपन विभाग उत्तराखण्ड शासन से सम्बन्धित प्रतीत होती है। तद्नुसार आपका सूचना का अनुरोध पत्र अधिनियम के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार अन्तरित कर दिया गया है। इस कार्यालय से संबंधित शेष सूचना के संकलन हेतु इस कार्यालय के संबंधित अनुभाग को आपका अनुरोध पत्र प्रेषित कर दिया गया है, जहॉ से सूचना प्राप्त होने पर नियमानुसार आपको उपलब्ध करा दी जायेगी।

उपरोक्त संबंधित लोक सूचना अधिकारी से यदि आपको सूचना प्राप्त नहीं होती है, अथवा उनके द्वारा दी गई सूचना से सन्तुष्ट न हों, तो कृपया संबंधित कार्यालय के विभागीय अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत कर सकते है।

(हेम चन्द्र पन्त)
अनु सचिव (लेखा)/लोक सूचना अधिकारी।

से0 मंत्रिपरिषद
20/9/21

(अजीत सिंह)
उप सचिव
मंत्रिपरिषद विभाग
उत्तराखण्ड शासन

श्री नीरज
20.9.21

2911/मा0 वि0/ वि0 स0
दिनांक 14/9/2021

सेवा में,

P.I.O. श्रीमान मुख्य सचिव (विधान सभा अध्यक्ष) उत्तराखण्ड सरकार

विधान भवन देहरादून उत्तराखण्ड

14/9/21 **विषयः–सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाहने बावत्**

महोदय प्रार्थी पैरा नं0 1 से पैरा नं0 4 की विस्तृत जानकारी चाहता है।

1)महोदय मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड को प्रतिमाह मानदेय एवं प्रतिमाह सुरक्षा एंव अन्य सुविधाओ पर कितनी धनराशि खर्च की जाती है एवं सेवानिवृत्त के पश्चात पेन्शन आदि की विस्तृत जानकारी देने की कृपा किजिएगा।

2)महोदय मा0 विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का प्रतिमाह मानदेय सुरक्षा एवं अन्य सुविधाओ पर खर्च एवं सेवानिवृत्त होने पर प्रतिमाह पेंशन के तौर पर कितनी धनराशि दी जाती है विस्तृत जानकारी देने की कृपा करेगें।

3)महोदय मा0 विधायक गण उत्तराखण्ड का प्रतिमाह मानदेय सुरक्षा एवं अन्य सुविधाओ पर खर्च एवं सेवानिवृत्त होने के पश्चात् पेन्शन के तौर पर कितनी धनराशि मिलती है की विस्तृत जानकारी देने की कृपा कीजिएगा।

4)महोदय मा0 मुख्यमंत्री मंत्रीगण उत्तराखण्ड सरकार को चुनाव प्रचार (आचार संहिता) के दौरान सरकारी वाहनो के इस्तेमाल करने की अनुमति है या नही विस्तृत जानकारी देने की कृपा करेगें।

दिनॉक– 10-09-2021

प्रार्थी

संलग्लक–बी0पी0एल0 प्रमाणपत्र की छायाप्रति

पूरन सिंह गैडा

गाम पोस्ट -- पोखरी(दन्यॉ)

तहसील--भनौली जिला–अल्मोडा

पिन कोड–263622

बी0पी0एल0 प्रमाण –पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती /कु0 पूरन सिंह पुत्र /पुत्री /पत्नी श्री रामसिंह ग्राम पोरवरी ग्राम पंचायत पोरवरी पो0 ओ0 पोरवरी विकास खण्ड धौलादेवी तहसील भनोली जिला अल्मोडा (उत्तराखण्ड) के निवासी है।

श्री पूरन सिंह का परिवार शासन द्वारा अनुमोदित बी0 पी0 एल0 सर्वेक्षण 2002 की बी0पी0एल0 सर्वेक्षण 2002 की बी0पी0एल0 सूची में आई0डी0 सख्या 6643/17006 तथा प्राप्तांक 18 है।

26/10/2020

खण्ड विकास अधिकारी
धौलादेवी (अल्मोड़ा)

Checked
CA
26.X.20